न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सख्या : 06/16

लालसिंह बनाम ग्राम पंचायत खानपुर अहीर व अन्य

(प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय मियाद अधिनियम)

आदेश

दिनांक : 02.9.19 पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट द्वारा यह अपील इतंकाल सख्या 101 ग्राम पंचायत खानपुर अहीर के दिनांक 25.09.1980 से व्यथित होकर इस न्यायालय में दिनांक 12.05.2016 को पेश की गई है। अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित किया है कि अपीलाण्ट व तरतीवी रेस्पो0 के पिता शिवलाल के नाम आराजी ख.न. 338 रकबा 16 बिस्वा, 339 रकबा 16 बिस्वा, 337 रकबा 01 बीधा 9 बिस्वा में निस्फ 1/2 भाग खातेदारी की आराजी थी। उक्त आराजी के अपने हिस्से को रामजीलाल पुत्र मगंतिया व घासीराम,प्यारेलाल पुत्रान झूथंर जाति अहीर निवासी मंढा ने अपना 1/4 भाग जर्ये बयनामा दिनांक 22.04.1974 को रेस्पो0 संख्या 2 व 3 व रेस्पो0 सख्या 4 व 5 के पिता औमप्रकाश को बेचान कर दिया था। बेचान के बाद बयनामा के आधार पर इतंकाल सख्या 101 ग्राम मंढस का पटवारी हल्का द्वारा दर्ज करते समय इतंकाल में जानबूझकर सभी नम्बरों का अंकन न करके केवल मात्र खसरा नम्बर 338 का सालिम हिस्से का अकंन रेस्पो0 सख्या 2 व 3 एवं 4 व 5 के पिता के नाम दर्ज कर दिया तथा इसी अकंन के आधार पर ग्राम पंचायत ने उक्त इतंकाल को रेस्पो. सख्या 2 व 3 तथा 4 व 5 के पिता के नाम दिनांक 25.09.80 को स्वीकार कर दिया।

अपीलाण्ट ने उक्त अपील के साथ दफा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त इतंकाल की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 03.05.2016 को होने का कथन किया गया है तथा दिनांक 03.05.2016 को जानकारी होने व दिनांक 11.05.2016 को नकल प्राप्त करने व दिनांक 12.05.2016 को अपील पेश करने से आज तक का समय मियाद में शुमार किये जाने का निवेदन किया गया।

रेस्पो0 ने दफा 5 का जवाब प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि क्रेतागण ने विक्रेता रामजीलाल, प्यारेलाल घासीराम से 1974 में आराजी खरीद की और उसी वक्त कब्जा ले लिया एवं इतंकाल भी 1980 में दर्ज होकर स्वीकार हो गया। अपीलाण्ट को 1974 व 1980 से आज दिनांक तक रिकार्ड में हो रहे इन्द्राज व मौके पर हो रही काश्त की जानकारी नहीं हो सही नहीं है। अपीलाण्ट स्वंय इस कार्य से जुडे रहे है व पटवारी पद पर कार्यरत रहे है। पढे लिखे व्यक्ति है। अपीलाण्ट का यह कथन गलत है कि मैने रिकार्ड नहीं देखा था। मियाद को कन्डोन करने का कोई उचित कारण नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र दफा 5' अस्वीकार करते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

हमने प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के बिन्दु पर उभयपक्ष की बहस सुनी। अपीलाण्ट के योग्य अधिवक्ता का कथन है कि आराजी ख.न. 337, 338, व 339 के 1/4 हिस्से का बेचान 1974 में हुआ था जिसका इतंकाल 1980 में हो गया परन्तु पटवारी हल्का ने ख.न. 338 सालिम का ही इतंकाल दर्ज कर दिया जबकि कय किये गये खसरे तीन नम्बर थे। ग्राम पंचायत द्वारा जो इतंकाल स्वीकार किया गया है उसकी सर्वप्रथम जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 03.05.2016 को हुई इसलिए जानकारी की दिनांक से अपील को मियाद में शुमार किया जावे।

वकील रेस्पो0 ने इन तर्को का खण्डन करते हुये कथन किया है कि जिस रकबे पर अपीलाण्ट काबिज थे उसी का इतंकाल दर्ज हो गया। अपील मियाद बाहर है। 1980 से अब तक जानकारी नहीं होने का कोई उचित कारण अपीलाण्ट द्वारा नहीं बताया गया है इसलिए अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील ग्राम पंचायत खानपुर अहीर द्वारा निर्णित इतंकाल सख्या 101 दिनांक 25.09.1980 के विरूद्व अपीलाण्ट द्वारा पेश की गई है। उक्त इतंकाल की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.05.2016 को होना अंकित किया गया है। इस प्रकार 1980 से 2016 तक लगभग 36 साल का समय होता है। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील 36 साल बाद पेश की गई है जो प्रथम दृष्टया मियाद बाहर है। जहां तक इस चुनौतीपूर्ण इतंकाल की सर्वप्रथम जानकारी का प्रश्न है अपीलाण्ट द्वारा इसकी तिथि 03.05.2016 होना अंकित किया है परन्तु दिनांक 03.05.2016 से पूर्व अर्थात 36 साल की समय अवधि में अपीलाण्ट को इसकी जानकारी नहीं हुई तर्कसंगत एवं विश्वसनीय कथन प्रतीत नहीं होता है। यदि तर्क के तौर पर यह मान भी लिया जावे कि अपीलाण्ट को इसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.05.2016 को हुई तो भी अपीलाण्ट द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया है। बिना साक्ष्य/प्रमाण के केवल मात्र यह कथन कर देना कि उसे जानकारी नहीं थी स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा 1980 से लेकर अपील दायर करने की दिनांक तक के घटनाक्रम का विशद विवरण नहीं दिया गया है ना ही अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के कारणों का सद्भावनापूर्वक खुलासा किया गया है। अपीलाण्ट का यह दायित्व है कि विलम्ब को उपमर्षित करने के लिए सद्भावनापूर्वक अपना स्पष्टीकरण सारभूत तथ्यों के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस मामले में अपीलाण्ट द्वारा मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों में कोई सारभूत एवं पर्याप्त कारणों का उल्लेख नहीं किया है तथा अपील पेश करने में अत्यन्त विलम्ब किया गया है। अतः 1980 से 2016 तक अर्थात 36 साल का विलम्ब सारभूत/समुचित कारणों के अभाव में उपमर्षित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है तथा अपील को मियाद बाहर मानते हुये इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

(योगेश कुमार डागुर)
02.9.19
उपखण्ड़ाधिकारी
मुण्ड़ावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner